कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः— श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :— **सर्वश्री खन्ना पेपर एजेन्सी, 6 महापालिका कटरा निची बाग, वाराणसी ।**

प्रा0प0सं0— **366 / 2008**

प्रार्थी की ओर से— **श्री वी0के0खन्ना, अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा—59 के अर्न्तगतनिर्णय

।— प्रार्थी के द्वारा दिनांक 15—09—2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा—59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा **Duplex Board, Mill Board and Grey Board** पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है। 2— व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड—। वाणिज्य कर, वाराणसी जोन, वाराणसी लखनऊ ने अपने पत्र संख्या —2645 दिनांक 17—10—08 से व्यापारी के विषय में विस्तृत आख्या प्रेषित की है । उनके द्वारा अपनी आख्या में बताया गया है कि **Duplex Board, Mill Board and Grey Board** वैट अधिनियम की अनुसुची—2—क के क्रमांक 90 के अर्न्तगत नहीं आते है क्योकि उपरोक्त तीनों वस्तुओं का कोई अंकन उपरोक्त विज्ञप्ति में नहीं किया गया है तथा व्यापारी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जिन मान0 उच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया गया है वह सभी निर्णय व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत पारित है तथा प्रस्तुत कोई भी निर्णय उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 से सम्बन्धित नहीं है।अपनी आख्या में यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 से जारी अनुसुची—2—क के क्रमांक 92 में इन तीनों वस्तुओं का स्पष्ट उल्लेख करते हुये तीनों वस्तुओं को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 से जारी अनुसुची—2—क के क्रमांक 92 से अलग किया गया है । चूकिं इन तीनो वस्तुओं को किसी भी अनुसुची—1, 2, 3, 4 में वर्गीकृत नहीं किया गया है तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 से जारी अनुसुची—2—क के क्रमांक 92 से स्पष्ट रुप से इन्हें अलग किया गया है। अतः यह तीनों वस्तुयें अनुसुची—5 के अनुरुप 12.5 प्रतिशत की दर से करदेय होगी तथा व्यापारी द्वारा स्वंय ही प्रस्तुत रुप पत्रों में उपरोक्त वस्तुओं पर12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता स्वीकार की गयी है।

3— धारा—59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री ए0के0खन्ना, अधिवक्ता उपस्थित हुयें व प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह बताया गया कि उनके द्वारा बिक्री की जा रही उपरोक्त तीनों वस्तुयें उनके हिसाब से पैकिग मैटेरियल के अन्तर्गत आती है तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 से जारी अनुसुची—2—क के क्रमांक 90 के अन्तर्गत आने के कारण 4 प्रतिशत की दर से करदेयता होनी चाहिए । उक्त प्रविष्टि निम्नवत् हैः—

90	Packing cases **and** packing materials including cork, cork sheets, gunny bags, HDPE/PP woven strips, HDPE/PP circular strips and woven fabrics; Hessian cloth, Hessian based paper, Polythene and Hessian based paper; high density polythene fabric based paper and bituminized water proof paper, jute twine; polythene and plastic bags including LDPE plastic bags for milk pouches; Tin containers, shooks, tea chests, waste paper, wooden boxes, wooden shavings, wooden crates, wooden cable drums, **all types of ropes and strings, envelopes**. Explanation:- planks, penals, battens, when assembled will form tea chest or packing cases will come under packing cases for the purpose of this entry.

क्रमशः 2 पर /

सर्वश्री खन्ना पेपर एजेन्सी, 6 महापालिका कटरा निची बाग वाराणसी ।

प्रा0प0सं0–366 / 2008

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 से जारी अनुसुची–2–क के क्रमांक 92की प्रविष्टि निम्नवत् है :–

92	Paper of all kinds (including newsprint when sold to person other than news paper publishers)**,** handmade paper and gum tape, whether meant for writing, printing, copying, packing or for any other purpose **excluding cellophane, mill board, duplex board and grey board; plywood, flushdoor and blockboard, hardwares, millstores; cash box; metallic jaali, barbed wire; and wooden spoon.**

4– मैनें व्यापारी के अभिलेखों का एवं आख्या आदि का अवलोकन किया और यह पाया गया कि उपरोक्त तीनों वस्तुयें उक्त दोनों प्रविष्टियों में सम्मिलित नहीं है तथा सर्वश्री करम ज्योति इण्डस्ट्रीज, बरेली के प्रार्थना पत्र संख्या– 138 / 08 में कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा दिनांक 8–7–08 से पारित निर्णय में भी मिल बोर्ड पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है। क्नचसमग ठवंतकएडपसस ठवंतक दक ळतमल ठवंतक को स्पष्ट रुप से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 से जारी अनुसुची–2–क के क्रमांक 92 से अलग किया गया है अतः उपरोक्त वस्तुयें वर्गीकृत नहीं है।अतः अनुसुची–5 के अन्तर्गत आने के कारण 12.5: की दर से करदेयता होगी।

5– प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा–59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6– इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांकः23 जनवरी, 2009

ह0 / 23– ।–09

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।